न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 293/18 **निर्णय दिनांकः—31.01.2019**

1. राजुराम पुत्र श्री गोमदराम जाति जाट निवासी चक 4 डी.एल.एस.एम. तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. खेताराम पुत्र श्री गोमदराम जाति जाट निवासी चक 4 डी.एल.एस.एम. तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

अपीलांट्स

—बनाम—

1. करीमा पत्नी नाजु खॉ जाति मुसलमान निवासी सत्तासर गोगलिया ढाणी तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 15—05—2017
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितिः—

1. श्री मलिक खान, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 15—05—2017 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांटान द्वारा बतौर विशेष आवंटन के अन्तर्गत चक 4 डी.एल.एस. एम. के मुरब्बा नम्बर 76/6 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र वर्ष 2007 में प्रस्तुत किया गया था। उक्त भूमि अन्य को आवंटित होने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 05—05—2017 को अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन चक 10 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 162/33 की 25 बीघा अनकमाण्ड भमि आवंटित की गई। अपीलांट द्वारा आवंटन पश्चात् 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार अपीलांट के आवंटन की तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 15—05—2017 को अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा चक 02 एसटीएम के मुरब्बा नम्बर 67/50 की 25 बीघा भूमि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में यह भलींभांति साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करते हुए बिना आवेदन के वादगत् भूमि का आवंटन करवाया गया है। उक्त आवंटन स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत व आवंटन नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य आवंटन है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में बताया कि चूंकि अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन दिनांक 05—05—2017 को करते हुए दिनांक 09—05—2017 को विधिवत रूप से आवंटन आदेश जारी किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन दिनांक को वादगत् भूमि अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड थी। जोकि शुद्व

रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ही अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया जाता अथवा वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति प्राप्त किये जाने पर अदालत मातहत के समक्ष यह स्थिति सामने आ जाती कि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित/ आक्यूपाईड लैण्ड थी। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन खारिज करते हुए अपीलांट का आवंटन बहाल रखा जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 03—01—19 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा चक 02 एसटीएम के मुरब्बा नम्बर 67/50 की 25 बीघा भूमि के विशेष आवंटन हेतु वर्ष 2000 में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त भूमि अन्य व्यक्ति प्रतापसिंह पुत्र अर्जुनसिंह को आवंटित होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि चक 10 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 162/33 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित भूमि की तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 15—05—2017 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 02—08—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15—05—2017 को आदेश जैर अपील पारित करते हुए वादगत् भूमि चक 10 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 162/33 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि दिनांक 05—05—2017 को अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन चक 10 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 162/33 की 25 बीघा अनकमाण्ड भमि आवंटित की गई। अपीलांट द्वारा आवंटन पश्चात् 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये गये आवंटन दिनांक को उक्त भूमि अपीलांट को आवंटित/आक्यूपाईड लैण्ड थी।

(4) इस संबंध में हमने अपीलांट/रेस्पोडन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि के किये गये आवंटनों का अवलोकन किया गया। हस्तगत् प्रकरण में यह निर्विवाद है कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 05—05—2017 को वादगत् भूमि का आवंटन सर्वप्रथम अपीलांट को किया गया। तत्पश्चात् उसी पीठासीन अधिकारी द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 15—05—2017 को किया गया है।

(5) प्रकरण में यह साबित है कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को सर्वप्रथम किया गया तथा अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् निर्धारित राशि भी जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व वादगत् भूमि के बाबत् संबंधित तहसीलदार से मौके व रिकार्ड की रिपोर्ट प्राप्त की जाती तो अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य स्वमेव साबित हो जाता कि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि है तथा शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं है।

(6) चूंकि प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित होता है कि वादगत् भूमि का अपीलांट का आवंटन पूर्ववर्ती आवंटन है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन पश्चात्वर्ती आवंटन है। लिहाजा अपीलांट का पूर्ववर्ती आवंटन बहाल रखा जाना न्यायोचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ दिनांक 15—05—2017 निरस्त किया जाकर अपीलांट का आवंटन बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर